



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 12.09.2025

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी।

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, गौवध करने वाली शातिर अपराधी को लगभग 80 किलो गौमांस के साथ गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी के कुशल मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना मोहम्मदी के नेतृत्व में आज दिनांक- 12.09.2025 को थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, एक नफर अभियुक्त अब्दुल माबूद पुत्र गुलजार खां निवासी ग्राम रसूलपुर थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को दो अदद छुरा, एक अदद कुल्हाड़ी, एक अदद रस्सी, एक अदद बोरी प्लास्टिक की, एक अदद लकड़ी का टीहा, एक काली पन्नी का पैकेट व लगभग 80 किलो गोवंश पशुओं के अवशेष बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना मोहम्मदी पर मु0अ0सं0 624/2025 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अब्दुल माबूद पुत्र गुलजार खां निवासी ग्राम रसूलपुर थाना मोहम्मदी जनपद खीरी

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अब्दुल माबूद

- 1.मु0अ0सं0 417/20 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम
- 2.मु0अ0सं0 169/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
- 3.मु0अ0सं0 96/22 धारा 2B(XV)/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट
- 4.मु0अ0सं0 389/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
- 5.मु0अ0सं0 744/22 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भादवि
- 6.मु0अ0सं0 745/22 धारा 25 आर्म्स एक्ट
- 7.मु0अ0सं0 544/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट

बरामदगी का विवरण

अभियुक्त के कब्जे से दो अदद छुरा, एक अदद कुल्हाड़ी, एक अदद रस्सी प्लास्टिक की, एक अदद बोरी प्लास्टिक की, एक अदद लकड़ी का टीहा, एक काली पन्नी का पैकेट व गोमांस लगभग 80 किलो तथा गोवंश पशुओं के अवशेष बरामद होना

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी चौकी अमीरनगर थाना मोहम्मदी खीरी
- 2.उ0नि0 विश्वनाथ मिश्र थाना मोहम्मदी खीरी
- 3.हे0का0 अशोक तिवारी थाना मोहम्मदी खीरी
- 4.का0 नीरज कुमार यादव थाना मोहम्मदी खीरी
- 5.का0 अनूप कुमार थाना मोहम्मदी खीरी
- 6.का0 बृजेश कुमार थाना मोहम्मदी खीरी

वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

- 1.थाना भीरा पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 341/2025 धारा 74/309(4)/312(2) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र सत्यप्रकाश निवासी अलीगंज थाना गोला जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया ।
- 2.थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, मु0सं0 798/05 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट में वारण्टी अभियुक्त नाजिम पुत्र शमीम निवासी मिलावारपुर थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया ।
- 3.थाना मितौली पुलिस द्वारा मु0सं0 8589/21 धारा 323/324/325/504/506 भादवि में 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों 1.सुमेश पुत्र मुरली 2.पूरन पुत्र सैनी निवासीगण सिमरा थाना मितौली जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया ।
- 4.थाना मैलानी पुलिस द्वारा, मु0सं0 403/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम में वारण्टी अभियुक्त गया प्रसाद पुत्र लल्लू निवासी खंजनपुर थाना मैलानी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया ।
- 5.थाना धौरहरा पुलिस द्वारा, मु0सं0 391/21 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट में वारण्टी अभियुक्त मुस्लिम पुत्र गसूर निवासी रामनगर लहबड़ी थाना धौरहरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया ।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 53 लीटर अवैध शराब बरामद कर 04 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **53 लीटर अवैध कच्ची शराब व 01 अदद शराब भट्टी** बरामद कर **04 नफर** अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **04 अभियोग** पंजीकृत किये गये।